कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्ष फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, şॅमेल-sspvns-up@nic.in, कार्यालय

अधीक्षक

वाराणसी

संख्याः पीआरओ 07/2021

Facebook-policevaranasi दिनांक: मार्च, 02/2021

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-0017/2017 धारा-302/201 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप गौड़ पुत्र रमेश गौड़ निवासी प्लाट नं0 37 ढेलवरिया थाना जैतपुरा वाराणसी को मानिटरिंग सेल व थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 02.03.2021 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 01 जनपद वाराणसी द्वारा आजीवन कारावास व रु0-20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट

थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-0251/2015 धारा-354(ए)/506 भा0द0वि0, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)II एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त डिम्पल मिश्रा पुत्र रामा मिश्रा निवासी असिला थाना फूलपुर वाराणसी को मानिटिरंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 02.03.2021 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज पाक्सो 02 जनपद वाराणसी द्वारा 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व रु0- 3,000/- के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

प्रेस नोट

दिनांक 02.03.2021 को तहसील राजातालाब में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।









प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 02.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 34 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 1175 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 245 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 34 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 145 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया साथ ही 01 व्यक्ति के विरूद्ध धारा 294 भादिव की कार्यवाही व 43 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।